अध्याय 5

सेवा-कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

80. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 में,—

(i) खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(3क) "वायुयान" का वही अर्थ है जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में उसका है ; 1934 का 22

(3ख) "वायुयान प्रचालक" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो वायुयान द्वारा माल के परिवहन की सेवा प्रदान करता है ;

(3ग) "विमानपत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है ; 1994 का 55

(3घ) "विमानपत्तन प्राधिकरण" से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी प्राइवेट विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव के प्रबंध का भारसाधक कोई व्यक्ति भी है ;'; 1994 का 55

(ii) खंड (12) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(12) "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से,—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान भी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिनके अंतर्गत उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना भी है ;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) वाणिज्यिक बैंककारी सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है ;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिनके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान तथा सलाह, विलयन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह भी है ;

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण ; और

(viii) कोई अन्य वित्तीय सेवा, अर्थात् उधार देना, संदाय आदेश, मांगदेय ड्राफ्ट, चेक, प्रत्यय-पत्र और विनिमय पत्र जारी करना, बैंक गारंटी देना, अधि ड्राफ्ट सुविधा, बिल डिस्काउंटर, सुरक्षित निक्षेप लाकर, सेफवाल्ट, बैंक खातों का प्रचालन ;

(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल, उससे भिन्न, जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा दलाली ;';

(iii) खंड (19) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(19) "कारबार सहायक सेवा" से निम्नलिखित से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है—

(i) कक्षीकार द्वारा उत्पादित या उपलब्ध कराए गए अथवा उसके माल का संवर्धन या विपणन या विक्रय ; या

(ii) कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का संवर्धन या विपणन ; या

(iii) कक्षीकार की ओर से उपलब्ध कराई गई कोई ग्राहक देखभाल सेवा ; या

(iv) ऐसे माल या सेवाओं का उपापन, जो कक्षीकार के लिए निवेश हैं ; या

(v) कक्षीकार की ओर से ऐसे माल का उत्पादन ; या

(vi) कक्षीकार की ओर से सेवा का उपबंध ; या

(vii) कोई सेवा, जो उपखंड (i) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप की आनुषंगिक या सहायक है, जैसे बिल बनाना, चेकों का जारी किया जाना या संग्रहण या वसूली, संदाय, लेखाओं का रखा जाना और प्रेषण, सूची प्रबंधन, भावी ग्राहक या विक्रेता का मूल्यांकन या विकास, लोक संपर्क सेवाएं, प्रबंधन या पर्यवेक्षण,

और इसके अंतर्गत कमीशन अभिकर्ता के रूप में सेवाएं भी हैं, किंतु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा या ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (च) के अर्थान्तर्गत "विनिर्माण" की कोटि में आता है ।

1944 का 1

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सूचना प्रौद्योगिकी सेवा" से कंप्यूटर साफ्टवेयर की अभिकल्पना, उसके विकास या अनुरक्षण या कंप्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण या प्रणाली नेटवर्किंग से संबंधित कोई सेवा या मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रणाली के प्रचालन के संबंध में कोई अन्य सेवा अभिप्रेत है ;

(19क) "कारबार प्रदर्शन" से किसी उत्पाद या सेवा का,—

(क) बाजार में ; या

(ख) संवर्धन के लिए ; या

(ग) विज्ञापन में ; या

(घ) प्रदर्शन केस में,

प्रदर्शन अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, ऐसे उत्पाद या सेवा के उत्पादक या प्रदायकर्ता के कारबार में वृद्धि के लिए आशयित है ;';

(iv) खंड (24) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(24क) "सिविल एन्कलेव" का वही अर्थ है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (i) में उसका है ;';

1994 का 55

(v) खंड (28) का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (29) में, "चालू करने या प्रतिष्ठापित करने से संबंधित" शब्दों के स्थान पर, "खड़ी करने, चालू करने या प्रतिष्ठापित करने से संबंधित" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (30) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(30क) "सन्निर्माण सेवा" से,—

(क) नए भवन या सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण ; या

(ख) भवन या सिविल संरचना की मरम्मत, परिवर्तन या पुनःस्थापन या उनके संबंध में समान सेवाएं,

अभिप्रेत हैं, जो, वाणिज्य या उद्योग या वाणिज्य और उद्योग के लिए आशयित कार्य के लिए,—

(i) मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं, या उपयोग की जानी हैं ; या

(ii) उनके संबंध में जिनका अधिभोग किया जाता है या अधिभोग किया जाना है ; या

(iii) मुख्य रूप से उन्हें उसमें नियोजित किया जाता है या किया जाना है,

किंतु इसके अंतर्गत सड़क, विमानपत्तन, रेल, परिवहन टर्मिनल, पुल, सुरंग, लंबी दूरी की पाइपलाइन और बांध नहीं हैं ;';

(viii) खंड (39) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(39क) "खड़ी करना, चालू करना या प्रतिष्ठापित करना" से संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर के खड़े करने, चालू करने या प्रतिष्ठापित करने के संबंध में किसी चालू करने और प्रतिष्ठापित करने वाले अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;';

(ix) खंड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(46क) "अग्रिम संविदा" का वही अर्थ है, जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है ;'; 1952 का 74

(x) खंड (50) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(50क) "माल वाहन" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (14) में उसका है ; 1988 का 59

(50ख) "माल अभिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जो सड़क द्वारा माल का परिवहन करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है और परेषण पत्र जारी करता है ;';

(xi) खंड (55) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(55क) "बौद्धिक संपदा अधिकार" से अमूर्त संपत्ति अर्थात् व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेंट या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य समान अमूर्त संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं है ;

(55ख) "बौद्धिक संपदा सेवा" से अभिप्रेत है किसी बौद्धिक संपदा अधिकार का,—

(क) अंतरण करना, चाहे स्थायी रूप से या अन्यथा ; या

(ख) उसके प्रयोग अथवा उपभोग की अनुज्ञा देना ;';

(xii) खंड (75) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(75क) "मत सर्वेक्षण" से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य मुद्दों के संबंध में जनता के विचारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(75ख) "मत सर्वेक्षण अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मत सर्वेक्षण से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;';

(xiii) खंड (76) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(76क) "बाह्य खान-पान प्रबंधक" से ऐसा खान-पान प्रबंधक अभिप्रेत है जो अपने स्वयं के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर खान-पान प्रबंधन के संबंध में सेवाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;';

(xiv) खंड (77) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(77क) "पंडाल या शामियाना" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो सरकारी, सामाजिक या कारबार समारोह को आयोजित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है या उसकी व्यवस्था की गई है ;

(77ख) "पंडाल या शामियाना ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पंडाल या शामियाने को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः तैयार करने, उसकी व्यवस्था, परिनिर्माण या परिसज्जा करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में, जिसके अंतर्गत फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश और प्रकाश फिटिंगों, फर्श, बिछावन और उसमें प्रयोग के लिए अन्य वस्तुओं का प्रदाय करना है, लगा हुआ है ;';

(xv) खंड (86) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(86क) "कार्यक्रम" से कोई ऐसा श्रव्य या दृश्य, विषय अभिप्रेत है, जो सीधे प्रसारण द्वारा या रिकार्ड किया हुआ, जो अंतरिक्ष या केबल की मार्फत विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रेषण द्वारा प्रसारण के लिए आशयित है, जो पुनःप्रसारण केन्द्रों के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः साधारण जनता द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए आशयित है ;

(86ख) "कार्यक्रम निर्माता" से कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्यक्रम तैयार करता है ;';

(xvi) खंड (89) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(89क) "मान्यताप्राप्त संगम" का वही अर्थ है जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा (2) के खंड (ञ) में है ; 1952 का 74

(89ख) "रजिस्ट्रीकृत संगम" का वही अर्थ है जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा (2) के खंड (ञञ) में है ;'; 1952 का 74

(xvii) खंड (101) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(101) "स्टाक दलाल" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, यथास्थिति, स्टाक दलाल या उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;'; 1992 का 15

(xviii) खंड (103) का लोप किया जाएगा ;

(xix) खंड (104) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(104क) "खनिज का सर्वेक्षण और खोज" से खनिज, तेल या गैस के भंडारों की अवस्थिति या पूर्वेक्षण के संबंध में भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी या अन्य पूर्वेक्षण, सतह या भीतरी सतह के सर्वेक्षण या नक्शा तैयार करने संबंधी सेवा अभिप्रेत है ;';

(xx) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (क) में, "किसी विनिधानकर्ता को" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (छ) में, "इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में शाखा" शब्दों के पश्चात्, "किन्तु कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी या कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी की विद्या शाखा में नहीं," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपखंड (यठ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(यठ) किसी ग्राहक को बैंककारी या अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान भी है ;';

(घ) उपखंड (यत) का लोप किया जाएगा ;

(ङ) उपखंड (यध) में "किसी ग्राहक को, केबल सेवाओं के संबंध में, केबल आपरेटर द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति को, केबल सेवाओं के संबंध में, केबल आपरेटर, जिसके अंतर्गत बहुप्रणाली आपरेटर भी है, द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपखंड (यभ) में, "जीवन बीमा कारबार के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "जीवन बीमा में जोखिम सुरक्षा के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (ययघ) में, "चालू करने या संस्थापन" शब्दों के स्थान पर, "खड़ा करने, चालू करने या संस्थापन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) उपखंड (ययठ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ययड) किसी व्यक्ति को, किसी विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव में, विमानपत्तन प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ययढ) किसी व्यक्ति को, वायुयान द्वारा माल के परिवहन के संबंध में, किसी वायुयान प्रचालक द्वारा ;

(ययण) किसी प्रदर्शक को, कारबार प्रदर्शनी के संबंध में कारबार प्रदर्शनी के आयोजक द्वारा ;

(ययत) किसी ग्राहक को, किसी मालवाहक गाड़ी में सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण द्वारा ;

(ययथ) किसी व्यक्ति को, सन्निर्माण सेवा के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(ययद) किसी व्यक्ति को, बौद्धिक संपदा सेवा के संबंध में, बौद्धिक संपदा अधिकार के धारक द्वारा ;

(ययध) किसी व्यक्ति को, मत सर्वेक्षण के संबंध में, मत सर्वेक्षण अभिकरण द्वारा ;

(ययन) किसी ग्राहक को किसी बाह्य खान-पान प्रबंधक द्वारा ;

(ययप) किसी व्यक्ति को किसी कार्यक्रम के संबंध में किसी कार्यक्रम निर्माता द्वारा ;

(ययफ) किसी ग्राहक को, खनिज के सर्वेक्षण और खोज के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ययब) किसी ग्राहक को किसी पंडाल या शामियाने के संबंध में किसी रीति से किसी पंडाल या शामियाना ठेकेदार द्वारा और जिसके अंतर्गत किसी खान-पान प्रबंधक द्वारा दी गई सेवाएं, यदि कोई हों, हैं ;

(ययभ) किसी ग्राहक को यात्रा मार्ग की बुकिंग के संबंध में किसी यात्रा अभिकर्ता द्वारा ;

(ययम) किसी व्यक्ति को, किसी अग्रिम संविदा के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त संगम या किसी रजिस्ट्रीकृत संगम के किसी सदस्य द्वारा ;';

(xxi) खंड (115) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(115) "पर्यटन प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटन की योजना, सभ्य सूची बनाने, उसका आयोजन या इंतजाम करने के कारबार में (जिसमें वास सुविधा, दृश्य अवलोकन या अन्य वैसी ही सेवाओं के इंतजाम सम्मिलित हैं), किसी प्रकार के परिवहन द्वारा, लगा हुआ है, और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र के अंतर्गत किसी पर्यटक यान में पर्यटन का प्रचालन करने के कारबार में लगा हुआ है ;

1988 का 59

(115क) "यात्रा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रा के लिए मार्ग सुरक्षित कराने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;';

(ख) धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"66. एक कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है), धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ), उपखंड (ङ), उपखंड (च), उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ), उपखंड (ण), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यख), उपखंड (यग), उपखंड (यघ), उपखंड (यङ), उपखंड (यच), उपखंड (यछ), उपखंड (यज), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यट), उपखंड (यठ), उपखंड (यड), उपखंड (यढ), उपखंड (यण), उपखंड (यत), उपखंड (यथ), उपखंड (यद), उपखंड (यध), उपखंड (यन), उपखंड (यप), उपखंड (यफ), उपखंड (यब), उपखंड (यभ), उपखंड (यम), उपखंड (यय), उपखंड (ययक), उपखंड (ययख), उपखंड (ययग), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययङ), उपखंड (ययच), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययज), उपखंड (ययझ), उपखंड (ययञ), उपखंड (ययट), उपखंड (ययठ), उपखंड (ययड), उपखंड (ययढ), उपखंड (ययण), उपखंड (ययत), उपखंड (ययथ), उपखंड (ययद), उपखंड (ययध), उपखंड (ययन), उपखंड (ययप), उपखंड (ययफ), उपखंड (ययब), उपखंड (ययभ) और उपखंड (ययम) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के दस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा ।"; सेवा कर का प्रभारण ।

(ग) धारा 67 में,—

(क) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण। में,—

(i) खण्ड (vi) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(vii) परिनिर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्री, यदि कोई हों, की लागत ; और

(viii) ऋणों पर ब्याज ।" ;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—जहां किसी प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल रकम में संदेय सेवा-कर सम्मिलित है, वहां कराधेय सेवा का मूल्य ऐसी रकम होगा जो कराधेय कर का योग प्रभारित सकल रकम के बराबर है ।" ;

(घ) धारा 71 और धारा 72 का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 73 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

उद्गृहीत न किए गए या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा कर की वसूली ।

'73. (1) जहां कोई सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या भूलवश उसका प्रतिदाय किया गया है, वहां, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त सुसंगत तारीख से एक वर्ष के भीतर उस सेवा-कर से प्रभार्य व्यक्ति पर जिससे उद्ग्रहण नहीं किया गया है या जिसने संदाय नहीं किया है या जिससे कम उद्ग्रहण किया गया है या जिसने कम संदाय किया है या जिसे सेवा-कर का भूलवश प्रतिदाय किया गया है, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए, सूचना की तामील करेगा :

परंतु जहां किसी सेवा कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा-कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के कारण ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—जहां सूचना की तामील पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, वहां, यथास्थिति, एक वर्ष या पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की संगणना करने में ऐसी रोक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य या भूलवश उसको प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की रकम (जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी) अवधारित करेगा और तदुपरि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(3) जहां कोई सेवा-कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या भूलवश उसका प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो सेवा-कर से प्रभार्य है, या जिसको सेवा-कर का भूलवश प्रतिदाय किया गया है, ऐसे प्रभार्य या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की रकम का, अपने स्वयं के उसके अभिनिश्चय के आधार पर या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के उसके अभिनिश्चय के आधार पर, प्रभार्य या भूलवश प्रतिदाय किए गए ऐसे सेवा-कर के संबंध में उपधारा (1) के अधीन उस पर सूचना की तामील किए जाने के पूर्व, संदाय कर सकेगा और, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त प्रभार्य या भूलवश रकम के संबंध में उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

परंतु, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त कम संदाय किए गए या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की राशि को, यदि कोई हो, अवधारित कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की गई है और तब, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, ऐसी राशि की वसूली की इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में कार्यवाही करेगा और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट "एक वर्ष" की अवधि की संगणना संदाय की ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि यह उपधारा न होती तो धारा 75 के अधीन इस उपधारा के अधीन व्यक्ति द्वारा संदत्त रकम पर ब्याज संदेय होता और, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त, द्वारा अवधारित सेवा-कर के कम संदाय की राशि पर या सेवा-कर के भूलवश किए गए प्रतिदाय पर भी, यदि कोई हो, ब्याज संदेय होता ।

(4) उपधारा (3) की कोई बात, ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जहां किसी सेवा कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा-कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन,

के कारण सेवा-कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश संदाय किया गया है ।

(5) उपधारा (3) के उपबंध, ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होंगे जहां सेवा-कर 14 मई, 2003 से पूर्व संदेय हो गया था या संदत्त किया जाना चाहिए था ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी कराधेय सेवा की दशा में, जिसके संबंध में सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है,—

(क) जहां इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन एक नियतकालिक विवरणी, उस अवधि के दौरान जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, संदत्त सेवा-कर की विशिष्टियां दर्शित करते हुए, निर्धारिती द्वारा फाइल की जानी है, वहां वह तारीख जिसको उक्त विवरणी इस प्रकार फाइल की गई है ;

(ख) जहां यथापूर्वोक्त कोई नियतकालिक विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां, वह अंतिम तारीख, जिसको इन नियमों के अधीन विवरणी फाइल की जानी है ;

(ग) किसी अन्य दशा में वह तारीख, जिसको इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सेवा कर का संदाय किया जाना है ;

(ii) उस दशा में जहां सेवा-कर इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है, सेवा-कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख ;

(iii) उस दशा में, जहां सेवा-कर से संबंधित किसी राशि का भूलवश प्रतिदाय किया जाता है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख ।";

(च) धारा 74 में,—

(i) उपधारा (4) में, "निर्धारण में वृद्धि करना या प्रतिदाय को घटाना या निर्धारिती के दायित्व को अन्यथा बढ़ाना है" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती के दायित्व में वृद्धि करना या प्रतिदाय को घटाना है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (6) में, "निर्धारण को घटाना है" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती के दायित्व को घटाना है या प्रतिदाय में वृद्धि करना है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (7) में, "निर्धारण" शब्द के स्थान पर, "निर्धारिती के दायित्व" शब्द रखे जाएंगे ;";

(छ) धारा 75 में, "पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी दर से, जो दस प्रतिशत से कम न हो और छत्तीस प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो, जैसा कि तत्समय केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 75क का लोप किया जाएगा ;

(झ) धारा 76 में, "जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है।

"77. जो कोई इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों को भंग करेगा जिनके लिए इस अध्याय के अधीन कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, तो वह ऐसी शास्ति का, जो एक हजार रुपए से अनधिक रकम तक की हो सकेगी, दायी होगा ।";

(ट) धारा 78 में, "यदि, यथास्थिति," शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अपवंचन करने का प्रयास किया है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जहां किसी सेवा-कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन,

के कारण उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित ऐसे सेवा-कर या भूलवश किए गए प्रतिदाय का संदाय करने के लिए दायी है और ऐसे सेवा कर और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त जो उसके द्वारा संदेय है, ऐसी शास्ति का जो इस प्रकार उद्गृहीत न किए गए या संदाय न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदाय किए गए या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की रकम से कम नहीं होगी किंतु जो उसके दुगुने से अधिक नहीं होगी, संदाय करने का भी दायी होगा";

(ठ) धारा 79 का लोप किया जाएगा ;

(ड) धारा 80 में, "धारा 77, धारा 78 या धारा 79" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 77 या धारा 78" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ढ) धारा 81 का लोप किया जाएगा ;

(ण) धारा 85 की उपधारा (1) में, "धारा 71, धारा 72 या" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(त) धारा 86 में, उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) अपील अधिकरण को अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन विहित रीति से किया जाएगा और मांगे गए सेवा कर और ब्याज या शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख पर विचार किए बिना, की गई अपील की दशा में उसके साथ,—

(क) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए सेवा-कर और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, वहां पांच लाख रुपए या उससे कम है वहां, एक हजार रुपए की फीस होगी;

(ख) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए सेवा-कर और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की फीस होगी ;

(ग) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए सेवा-कर और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की फीस होगी :

परंतु उपधारा (2) या उपधारा (2क) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(6क) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) रोके जाने की मंजूरी या भूल की परिशुद्धि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपील की दशा में ; या

(ख) किसी अपील या किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी ।"।

(थ) धारा 94 की उपधारा (2) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(च) कराधेय सेवाओं के निर्यात का अवधारण करने के लिए उपबंध ;

(छ) कराधेय सेवाओं, जो भारत बाहर निर्यात की जाती है, पर सेवा-कर की छूट या संदत्त सेवा-कर की रिबेट देना ;

(ज) भारत के बाहर निर्यात की गई किसी कराधेय सेवा को उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए गए माल पर उपभोग की गई सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर या संदत्त शुल्क या संदत्त समझी गई शुल्क का रिबेट ;

(झ) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या किया जा सकेगा ।'।

(द) धारा 95 में उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) यदि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 द्वारा इस अध्याय में निगमित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन या निर्धारण के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों से संगत राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु उस तारीख से जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।"।